अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3062(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 26.05.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 497 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "लायन्स क्लब ऑफ कर्नावटी फांउडेशन, गांव व डाकघर ओगनाज, जिला

अहमदाबाद-382421" द्वारा " विस्तार परियोजना- गांव ओगनाज, अहमदाबाद, गुजरात में निशुल्क: नेत्र शल्य चिकित्सा की बढ़ती संख्या और अस्पताल के संचालन के लिए उपस्करों की खरीद" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2001-2002 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 9.05.2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 528 (अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 244 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 848 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2894 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-2015 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पन्द्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतदद्वारा "लायन्स क्लब ऑफ कर्नावटी फांउडेशन, गांव व डाकघर ओगनाज, जिला अहमदाबाद-382421" द्वारा चलाई जा रही " विस्तार परियोजना- गांव ओगनाज, अहमदाबाद, गुजरात में निशुल्क: नेत्र शल्य चिकित्सा की बढ़ती संख्या और अस्पताल के संचालन के लिए उपस्करों की खरीद" की परियोजना अथवा स्कीम को 150.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 437.50 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे

तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है

[सं. 252 /2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)